संलग्नक क्र.5

01

कार्यवाही विवरण

Developm+ent of Economic Corridor to improve the efficiency of freight movement in India under Bharatmala Pariyojana, Urga Pathalgaon section (87.535 Km) of NH-130A (Raipur-Dhanbad Economic Corridor) [Lot-3/Pkg-I] by M/s National Highway Authority of India की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 25 मई 2022 का कार्यवाही विवरण :–

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार, Development of Economic Corridor to improve the efficiency of freight movement in India under Bharatmala Pariyojana, Urga Pathalgaon section (87.535 Km) of NH-130A (Raipur-Dhanbad Economic Corridor) [Lot-3/Pkg-I] by M/s National Highway Authority of India की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु **लोक सुनवाई दिनांक 25.05.2022, दिन–बुधवार, समय प्रातः 11:00 बजे, स्थान–सामुदायिक भवन का मैदान, ग्राम–कछार, तहसील–पत्थलगांव, जिला–जशपुर (छ.ग.)** में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी जशपुर, की अध्यक्षता में लोकसुनवाई प्रातः 11:00 बजे प्रारंभ की गई। लोक सुनवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जशपुर तथा क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल रायगढ उपस्थित थे। लोक सुनवाई में आसपास के ग्रामवासी तथा जशपुर के नागरिकों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं ने भाग लिया। सर्वप्रथम पीठासीन अधिकारी द्वारा उपस्थित प्रभावित परिवारों, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों, ग्रामीणजनों, एन.जी.ओ. के पदाधिकारी, गणमान्य नागरिक, जन प्रतिनिधि तथा इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मिडिया के लोगो का स्वागत करते हुये जन सुनवाई के संबंध में आम जनता को संक्षिप्त में जानकारी देने हेतु क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी को निर्देशित किया। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.06 के प्रावधानो की जानकारी दी गयी, साथ ही कोविड 19 के संबंध में गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश दिनांक 30.09.2020 के अनुसार सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने, हेण्डवाश अथवा सेनेटाईजर का उपयोग किये जाने, मास्क पहनने एवं थर्मल स्केनिंग किये जाने की जानकारी दी गई। पीठासीन अधिकारी द्वारा कंपनी के प्रोजेक्ट हेड तथा पर्यावरण सलाहकार को प्रोजेक्ट की जानकारी, पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव, रोकथाम के उपाय तथा आवश्यक मुद्दे से आम जनता को विस्तार से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सुनवाई में कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा परियोजना के प्रस्तुतिकरण से प्रांरभ हुई। सर्वप्रथम मैं भुपेन्द्र मान सब का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का दिनांक 25 मई 2022 पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 के तहत प्रस्तावित उर्गा–पत्थलगांव सड़क योजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु नियमानुसार हम सार्वजनिक लोकसुनवाई के लिये एकत्रित हुये है। सबसे पहले इस परियोजना की संक्षिप्त जानकारी आप लोगो के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। वर्तमान परियोजना उर्गा–पत्थलगांव परियोजना भारतमाला के परियोजना के तहत रायपुर–धनबाद इकोनामिक कॉरिडोर का हिस्सा है। भारतमाला परियोजना एन.एच.डी.पी. परियोजना के बाद दूसरा बड़ा परियोजना है जिसके अंतर्गत इकोनामिक कॉरिडोर शामिल है। व्यापारिक दृष्टि से

महत्वूपर्ण स्थानों को जोड़ने वाले मार्ग इकोनामिक कॉरिडोर के अंतर्गत आते है वर्तमान परियोजना की डिजाईन चेंनेस 70+200 किलोमीटर कोरबा जिले के उर्गा के पास से शुरू होती है और डिजाईन चेनेस 157+745 किलोमीटर जशपुर जिले के पत्थलगांव, तुरूआमा गांव के पास समाप्त होता है। उर्गा से पत्थलगांव के बीच मौजुदा राष्ट्रीय राजमार्ग एन.एच. 130ए 105 किलोमीटर से भी अधिक लंबा है जिसे तय करने के लिये लगभग 3.5 घंटा का समय लगता है। प्रस्तावित परियोजना उर्गा–पत्थलगांव सड़क योजना आने से ये दूरी मात्र 87.5 किलोमीटर की हो जायेगी एवं 1 घंटे में तय की जा सकती है। प्रस्तावित सड़क 4 लाईन कैरी है इसमें 10–10 मीटर का कैरी होंगे और प्रोजेक्ट हाईवे के लिये प्रस्तावित आर.ओ.डब्ल्यू. शामिल्य तौर पर 7 मीटर है और वन्य क्षेत्रों में आर.ओ.डब्ल्यू. 30 मीटर से 65 मीटर तक होगा। परियोजना में एवेन्यू प्लांटेशन आर.ओ.डब्ल्यू. में लगाये जायेंगे एवं मिडेन में प्लांटेशन की जायेगी। प्रस्तावित हाईवे 2 नदी मांड एवं चुहिया नदी से होकर गुजरेगा। परियोजना में 6 प्रमुख पुल, 21 छोटे पुल, 228 पुलिया, 1 ओ.ओ.बी., 1 फ्लाई ओवर, 2 ओवर पास, 1 हाथी अंडरपास, 1 हाथी ओवरपास और 35 अंडरपास प्रस्तावित की गई है। इस परियोजना की पर्यावरणीय विशेष्ता मिस्टर बिंचु कुमार जी बतायेंगे। इंडिया में देख रहे है हर जगह बढ़िया रोड बन रहा है छत्तीसगढ़ का ये एरिया पिछड़ापन था इसमें भी सरकार ने सबसे बढ़िया रोड आज के डिजाईन से बन रहा है वो परियोजना में लाया गया है इससे रायपुर और धनबाद जो इकोनामिक कॉरिडोर है उससे कनेक्टिविटी डायरेक्ट हो जायेगी। ये जो कॉरिडोर है 105 किलोमीटर का है इसमें 4 घंटा लगता है और ये बन जाने से लगभग 1–1.5 घंटे में लगभग हमारा 18 किलोमीटर का बचत होगा और टाईम भी हमारा 2–3 घंटा बचेगा। इससे गांव में को खेती करते है, अनाज उगाते है जिसको मार्केट में ले जाने में सब्जी, कच्चा फल, दूध उसको पहुचाने में आपको टाईम लग रहा है जो टाईम आप 4 घंटे में जायेंगे या कुछ खराब हो जायेगा उससे बढ़िया टाईम बचेगा। आप 1 से 1.5 घंटे में यहा बढ़िया रांचि है, धनबाद है, स्टेट है चारो तरफ कनेक्टिविटी है, उड़िसा, झारखंड वहा पर जाकर अपना जो भी कनेक्टिविटी है कर सकते है। ये 3 डिस्ट्रीक्ड से गुजर रहा है जो सेक्शन है उर्गा–पत्थलगांव का ये कोरबा, रायगढ़ और जशपुर। कोरबा में लगभग 36 किलोमीटर, रायगढ़ में 39 किलोमीटर और जशपुर जहां पर हम बैठे हुये है वहा 12 किलोमीटर का है। ये 12 किलोमीटर में 08 गांव है, उन गावों में हमने पर्यावरण स्वीकृति के लिये चुंकि ये ग्रीन हाईवे है। नेशनल हाईवे जो एक्ट होता है जो एक्जिस्टिंग है जो वर्तमान में जो रोड है उसको हम चौड़ीकरण करेंगे और एक होता है वर्तमान को चौड़ीकरण करने से घर क्षति बहुत ज्यादा होता है तो सरकार आज–कल चाह रहा है कि हम लोग ग्रीन फिल्ड से ले जाये ताकि क्षति कम हो, कनेक्टिविटी हो और स्पीड भी बढ़िया रहे जिससे आम आदमी को परेशानी ना हो। उसी के दृष्टिकोड़ से रख कर ये ग्रीन फिल्ड है तो पर्यावरण का ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 है उसके हिसाब से हम लोगो ने पुरा प्रावधान करके आप लोगो का बुलाया गया है ताकि इसमें आपको जो भी टीका, टिप्पड़ी, सुझाव है आपको आमंत्रित किया गया है एवं लिखित रूप से या मौखिक रूप से दे सकते है वो सारे रिकार्ड करेंगे और, आपकी समस्या भी सुनी जायेगी। पहले परियोजना के

बारे मे आपको बता देते है। इसमें हमारी टोटल लंबाई 87 किलोमीटर बताया उसमें आपका रायपुर–धनबाद इकोनामिक कॉरिडोर बताया है जिसमें 8 गांव जा रहा है इसके अलावा ये 4 लाईन होगा 2 लेन गाड़ी जायेगी और इधर से आयेगी, बीच में हमारा मिडियर रहेगा ताकि एक्सिडेंट ना हो और इसमें जो भी कर्व इंप्रुमेंट सारे अच्छे किये गये है, सबसे बेनिफिट यही रहेगा अभी हम जो चल रहे है उसमें ये रोड खराब है कोई 90 डिग्री कर्व है, कही पर कर्व है, एक गाड़ी इधर से आ रहा है एक गाड़ी इधर से एक्सिडेंट हो गया तो ये प्रावधान इसमें नहीं रहेगा, एक्सिडेंट का कोशिस यह किया गया है कि ये जीरो प्रतिशत रहेगा। डिजाईन और स्पीड में इसमें 100 किलोमीटर का दिया गया है जो गाड़ी चलेगी वो लगभग 100 किलोमीटर के स्पीड से चलेगी। कोई गाड़ी आ रहा है साईड से उसमें क्रस करने के लिये भी बढ़िया दिया गया है। आने के लिये सेप्रेट 2 लाईन, जाने के लिये 2 लाईन, बीच में मिडियेन और जहा जरूरत है एप्रोच के लिये भी दिया गया है। इसमें मोस्टली एग्रीकल्चर लैण्ड प्रभावित होगा, कही–कही पर गवर्नमेंट लैंड है, फारेस्ट लैंड है वो भी आ रहा है, चुंकि ये ग्रीनफिल्ड से होकर जा रहा है इसलिये प्रभावित होंगे। पर्यावरण के अध्ययन के लिये बेसलाईन अध्ययन किया गया है। हमने 87 किलोमीटर में 8 जगह से हवा का, पानी का, मिट्टी का और ध्वनि का ये सारे सैम्पल हमने लिया और लैब में लेकर उसका एनालाईसेस किया फिर उसका जो भी रिपोर्ट आया उसको रिपोर्ट में बनाकर हमने पाल्युशन कंट्रोल बोर्ड में सबमिट किया उसके हिसाब से हमने आज मीटिंग रखा है, मीटिंग में जो मिनट्स आयेगा उसको आगे देंगे और आगे कार्यवाही होगी। इसमें डिफरेंट टाईप के पैरामीटर पाये जाते है जैसे देखते है धुल कड़ हो गया, आपके बहुत सारे गैसीय पाल्युटेंट होते है उन सबका निर्धारित किया गया है उनका टेस्ट किया गया है और फिर उसका जो भी रिपोर्ट है वो हमारे रिपोर्ट में सम्मिलित है, यहा सभी का वेल्युवेशन हो गया है यहा कोई भी जशपुर में वन्य प्राणी नहीं पाया गया है। इसके कंस्ट्रकशन से धुल उड़ेगा जिसके निराकरण के लिये व्यवस्था किया गया है जो भी वर्कर काम करेंगे उसको एयर मफ दिया जायेगा।

तदोपरांत पीठासीन अधिकारी द्वारा परियोजना से प्रभावित ग्रामीणजनों/परिवार, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों, जन प्रतिनिधियों, एन.जी.ओ. के पदाधिकारियों, समुदायिक संस्थानों, पत्रकारगणों तथा जन सामान्य से अनुरोध किया कि वे परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव, जनहित से संबंधित ज्वलंत मुद्दों पर अपना सुझाव, विचार, आपत्तियां अन्य कोई तथ्य लिखित या मौखिक में प्रस्तुत करना चाहते है तो सादर आमंत्रित है। यहा सम्पूर्ण कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई जा रही है।

आपके द्वारा रखे गये तथ्यों, वक्तव्यों/बातों के अभिलेखन की कार्यवाही की जायेगी जिसे अंत में पढ़कर सुनाया जायेगा तथा आपसे प्राप्त सुझाव, आपत्ति तथा ज्वलंत मुद्दों पर प्रोजेक्ट हेड तथा पर्यावरण सलाहकार द्वारा बिन्दुवार तथ्यात्मक स्पष्टीकरण भी दिया जायेगा। सम्पूर्ण प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बरती जायेगी, पुनः अनुरोध किया कि आप जो भी विचार, सुझाव, आपत्ति रखे संक्षिप्त, सारगर्भित तथा तथ्यात्मक रखें ताकि सभी कोई सुनवाई का पर्याप्त अवसर मिले तथा शांति व्यवस्था बनाये रखने का अनुरोध किया गया। लोक सुनवाई में

लगभग 200–300 लोगों का जन समुदाय एकत्रित हुआ। उपस्थिति पत्रक पर 29 लोगों ने हस्ताक्षर किये। इसके उपरांत उपस्थित जन समुदाय से सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणी आमंत्रित की गयी, जो निम्नानुसार है –

सर्व श्रीमती / सुश्री / श्री –

1. जगदीश यादव, कछार – जो पहले यहा एन.एच. बनी थी जिससे बहुत धुल उड़ रहा था जिसमें किसी भी मापदण्ड को पुरा नहीं किया गया जिसमें कई लोगो को दमा की शिकायत, सांस की शिकायत, कई बार हड़ताल होने के बाद सुनवाई नही हुई। मैं जानना चाहता हूँ कि आने वाले प्रोजेक्ट में क्या इनके मापदण्डों को रखा जायेगा। ग्रामीण जनता क्लियर नहीं हो पा रही है कि उनको मुआवजा क्या मिलेगा।
2. भुवनेश्वर नाथ, डुमरबहाल – क्या कछार से आगे यह रोड नहीं बड़ेगी क्या यह पर समाप्त है क्या। यदि आगे बढ़ेगी ता इसमें मेरा जमीन फस रहा है, पटवारी ने नही नापा है नीचे से बताते है हवाई जहाज से नाप हुआ उसमें मेरा 5 खेत जा रहा है तो उसमें मात्र 70 डिसमिल का दिया हुआ है उसमें क्या रेट है और उस जमीन में मैं बहुत से पेड़–पौधे लगाया हूँ उसका भी लिस्ट मेरे पास है, आम, ईमली, जामुन, महुआ, सागौन, सिसम आदि पेड़ का नुकशान हो रहा है इसका भरपाई होगा या नहीं होगा बताईये, जमीन का कितना मुआवजा मिलेगा यह हम जानना चाहते है। हम लोगो को जमीन का मुआवजा मिलना है वो सही मिले। जहा से जमीन जायेगी उसमें पिल्हर गड़ा है वहा से 100 मीटर और उजड़ेगा इसका जवाब हम सुनना चाहते है।
3. आद्या शंकर – इस जनसुनवाई में मेरी आपत्तियां है। मेरे पास एक पत्र है जिसमे लिखा है भुमि का अधिग्रहण हो गया है, क्या इस भू–अधिग्रहण की जानकारी सभी किसानों को है, क्या ग्रामपंचायत से अनुमोदन लिया है, कितने प्रतिशत लोग जमीन देने को तैयार है। जशपुर जिला अधिसूचित जिला है। यहा के जल, जंगल, जमीन को हम जान से भी ज्यादा समझते है। इस परियोजना में पहले से जो एन.एच. है, आपकी परियोजना में जो सड़क बन रही है इन दोनो सड़को से दूरी कितनी कम होगी, क्या इसी 02 लेन में ही 4 लेन नहीं बन सकता, जहां गाव बड़े है वहा फ्लाई ओवर बना सकते है। इस परियोजना में जिन गांवों से जमीन जायेगी उन ग्रामपंचायतों के अनुमति लेना अनिवार्य होगा। सभी गांव के लोग अपना–अपना आपत्ति दिये है उन आपत्तियों का क्या हुआ। फारेस्ट का अनुमति होना चाहिये, जंगल के हजारों पेड़ कट जायेंगे, यहा का जैव विविधता सबसे अच्छी है जशपुर जिले में इस प्रोजेक्ट की कोई आवश्यता नहीं है। इसको रोकने के लिये हम आपत्ति दर्ज करते है। महाप्रबंधक के पत्र में कहा गया है कि हमने जमीन अधिग्रहण कर ली है, इसका कितना मुआवजा देंगे। आप पर्यावरण के लिये जनसुनवाई कर रहे है, जहां 80 प्रतिशत सहमत नहीं हो तो आपने जमीन कैसे अधिग्रहण कर ली। जनसुनवाई करने से पूर्व सहमति लिया जाना चाहिये। यहा ग्रामपंचायत के सरपंच को बुलाईये कि क्या इसकी सुचना मिली है। इसी 2 लेन को 4 लेन बनवाईये इससे पैसा बचेगा। यह जो जनसुनवाई में रजिस्टर में हस्ताक्षर करवा रहे है वो फर्जी है।

4. जागेन्द्र टोप्पो, मुड़ापारा – यह लोकसुनवाई 5वीं अनुसुचित के विरूद्ध हो रही है हम ग्रामसभा को प्राथमिकता देते हुये गांव में जनसुनवाई होनी चाहिये, हम हमारे जशपुर जिले को बचाना चाहते है, हम इस जमीन को बचाना चाहते है, यह परियोजना हमारे लायक नहीं है। हम सभी ग्रामवासी इसके विरूद्ध में आवाज उठा रहे है। हमारी संस्कृति, सभ्यता हमसे छिन लिया जायेगा, हमारा आधार जमीन से जुड़ा हुआ है, हम अपनी जमीन छोड़ कर कहा जायेंगे। जल जंगल जमीन छिन लिये जायेंगे तो हम क्या करेंगे। हमारी संपत्ति जल जंगल जमीन है।

5. संजय यादव, कछार – कुछ लोग इसको रोकने के लिये राजनितिक अपना रहे है इसके आने से आने–जाने के लिये कम समय लगेगा, हम लोगो को जशपुर जाने के लिये 3–4 घंटा लगता है, रायगढ़ जाने के लिये 4–4.5 घंटा लगता, अंबिकापुर जाने के लिये 3 घंटा लगता है। रोड कनेक्टिविटी सही रहेगा तो हम 1.5–2 घंटे में हम सफर कर सकते है। हम चाहते है कि ये रोड बनना चाहिये इससे सबका हित होगा।

6. अरूण कुमार शर्मा, जशपुर – मैं इस भारतमाला परियोजना का विरोध करता हूँ क्योंकि आज से 25 वर्ष पूर्व यहा एन.एच. है जो 15 वर्षो से निर्माण चल रहा है और पूर्ण नहीं हुआ है। जिसके लिये हजारो पेड़ो की बली दी जा चुकि है और शासन द्वारा कहा गया था कि जितने पेड़ काटे गये है उससे दुगुने पेड़ लगाये जायेंगे। जशपुर हमारा ग्रीन बेल्ट है उसको विनाश की ओर मत जाइये। इसमें हमारे खेत जा रहे है, इसमें हमारे वन जा रहे है, इसमें हमारे घर जा रहे है। हम भी विकास चाहते है एन.एच. में ही भारतमाला परियोजना को लाया जाये जिससे वृक्ष नहीं कटेंगे, आपने कहा ग्रामिणों को सुचना दिया, ग्रामिणों को बुलवा लीजिये किसको–किसको सुचना मिली। 15 साल से जो एन.एच. है पहले उसे पुरा करवा लीजिये। इसके बनने से हम ट्रकों से कुचल दिया जायेगा, यह परियोजना का हम विरोध करते है। यहा सभी के पास विरोध की तख्तीया है जो नहीं बोल पा रहे है।

7. अब्दुल हकिम, जशपुर – मैं विरोध का समर्थन कर रहा हूँ क्योंकि जो पेड़ लगे है उजड़ जायेंगे, सास लेने में दिक्कत आयेंगी, कई लोगो का पेड़ जा रहा है, खेत जा रहा है, कब्रिस्थान जा रहा है। पेड़ कटते जा रहा है।

8. सहदेव, बिलडेगी – हमको इस परियोजना के आने से जीने–खाने का रास्ता नहीं मिलेगा हम कैसे अपना परिवार पालेंगे, हमारे जमीन से जिसे पेड़–पौधे है।

9. परमेश्वरी यादव, कछार – हमारे जमीन का मुआवजा हो भी गया लेकिन उसको दुसरे नाम से आहरण कर लिया गया। इस परियोजना में भी मेरा जमीन गया है उसको किसी और के नाम से फर्जी कर डाल देंगे, हमारे नाम से पैसा आहरण हुआ लेकिन उस पैसे को दुसरे के नाम से आहरण कर दिया गया मेरे पास

पुरा फाईल है तो कैसे दुसरे के नाम से आहरण हो गया हमको कोई जानकारी नहीं है। हमारा पुरा पैसा भी गया और जमीन भी चला गया।

10. अनिल यादव, कछार – यहा पर रोड कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण हमारा क्षेत्र पिछड़ा जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि भारतमाला परियोजना बने। आज कोई बीमार होता है रायपुर ले जाना है 12–14 घंटे लगते है क्योंकि यहां रेल भी नहीं है। हम चाहते है कि इस परियोजना को यहा आना चाहिये।

11. सावित्री, गाला – 50 डिसमील जमीन गया है तो उसका क्या होगा।

12. जयंत लकड़ा, जशपुर – हमारे कुछ साथी कह रहे है कि यहा रोड की आवश्यता है हम 15 साल से देख रहे है कि यहा की स्थिति खराब है, यहा गांव वाले बोल नहीं पा रहे है जिसकी जमीन जा रही है उनको मुआवजा मिल भी जाता है तो क्या होगा क्योंकि उनको खेती के अलावा कुछ आता ही नहीं है। एन.एच. को ही इसमें शामिल किया जाये।

13. मोहनिश साहू, पत्थलगांव, – कुछ लोग बोल रहे है रोड बनना चाहिये मेरा कहना है कि जो पहले से एन. एच. है उसे पहले बनाया जाये, यहा अनेक प्रकार के सांप मिलते है। यह जनुसनवाई अवैध है हमारा क्षेत्र भी प्रभावित है। मैं इस जनसुनवाई का विरोध करता हूँ और बिना पंचायत के एन.ओ.सी. लिये इस जनसुनवाई का करवा जा रहा है इसका मैं विरोध करता हूँ।

14. अनिमानंद एक्का, जशपुर – जनसुनवाई को 01 माह पूर्व सुचना देना चाहिये जो नहीं दिया गया है इसलिये मैं विरोध करता हूँ। संपुर्ण जिला जशपुर आदिवासी क्षेत्र है, यहा पर लाखों पेड़ कटेंगे इसलिये इस जनसुनवाई का विरोध करते है। यहा एन.एच. 43 को ही भारतमाला परियोजना में जोड़ दिया जाये।

15. साधराम मिंज, लुड़ेग – ये जो 5वीं अनुसुचि क्षेत्र को जल, जंगल बचाने के लिये लागु किया गया था, हमको यही आना पड़ेगा, पहले एन.एच. को बनाया नहीं गया है, छोटे किसान इलाज नहीं करा पा रहे है।

16. हेमेंत कुमार पटेल, गाला – मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। यहा कुछ लोगो का जमीन है जिसमें बहुत कम मुआवजा दिया जा रहा है, इसलिये विरोध है।

17. ननकुराम जांगड़े, कछार – बोर बना है पानी बंद हो गया है लोग पानी के लिये दु:खी हो रहा है मेरे को एक घर चाहिये, सरपंच बोलता है नहीं दूंगा, कुछ जुगाड़ मेरे को चाहिये।

18. विजय त्रिपाठी, पत्थलगांव – मैं कृषक होने के साथ पत्रकार हूँ, जब इसका जनसुनवाई हो रहा है तो इसका प्रचार–प्रसार होना चाहिये, यहा की जनसंख्या बता रहा है कि यहा कितना प्रचार किया गया है 90 प्रतिशत लोग का विरोध है। लोग चाहते है कि भारतमाला परियोजना बनें लेकिन जो गरीब है उसकी जमीन चली गई तो वो क्या करेगा। एन.एच. को ही राशि देकर इसे बनाया जाये। मैं इसका विरोध करता हूँ।

19. रामनारायण ठाकुर, – यहा जो कार्यक्रम रखा गया है उसकी सुचना होनी चाहिये। हमारे पास 50 डिसमिल जमीन है अगर वो चले जायेगा तो क्या होगा मैं इसका विरोध करता हूँ।

20. लेमेन लकड़ा, पत्थलगांव – इस परियोजना का जो लोकसुनवाई रखा गया है इसका मैं विरोध करता हूँ। मेरी जमीन चली जायेगी तो हमारी आदिवासीयता खतम हो जायेगी, हमारा अस्तित्व खतम हो जायेगा मै इसका विरोध करता हूँ, एन.एच. में भी इसको शामिल किया जाये।

21. निर्मला, कृष्णवत पंचायत – भारतमाला परियोजना का मैं विरोध करती हूँ इससे मेरा पुरा परिवार प्रभावित हो रहा हूँ, पैसा काम नहीं आता, रोड आ रहा है तो फायदा होगा लेकिन हम गरीब लोगो का क्या होगा, हम अपने पशुओ को कहा लेकर जायेंगे। हमारे पास जमीन ही नही रहेंगे तो हम आदिवासी कैसे कहलायेंगे। कहते है अस्पताल जाने के लिये सड़क नहीं है क्यों ना अस्पताल यही खोला जाये। हम अपने जमीन के साथ खुश है। हम इसका विरोध करते है, पुरी महिला पार्टी विरोध करती है। हमे पानी नहीं मिलेगा, शुद्ध हवा नहीं मिलेगा, प्रदूषण होगा इसलिये विरोध करते है।

22. कुंदोबाई, पंगसुआ – 5 एकड़ जमीन है और कुछ नहीं है मेरे को जमीन दो, 7 बेटा–बेटी है सब को छिन लिये मैं किसमें घर चलाउं।

23. सालिकराम मिंज, मुड़ापारा – इस परियोजना का मैं विरोध करता हूँ। इसमें बहुत लोगो का जमीन गया जिसे पैसा मिला। भारत सरकार हमारी विकास चाहती है तो हम इसका समर्थन करते है यहा के रोड कितना घटिया है। ग्रामपंचायत की ओर से मैं विरोध करता हूँ जिस हिसाब से मुआवजा दिया जा रहा है उस पैसे से जमीन नहीं खरीदा जा सकता।

24. झुलोबाई, पंगसुआ – मेरा जमीन चला गया है तो मै कैसे परिवार का पालन करूंगी।

25. बसंती, कछार – हम गरीब है हमारे पास कुछ नहीं है भिख मांगकर खाते है।

26. विमला जांगड़े, कछार – सब घर में नल–जल है वो लोग पानी पी रहे है लेकिन हमारे घर में नहीं है हम पानी कैसे लेंगे पीने के लिये, किसी का पेंशन नहीं मिल रहा है। सरपंच बोलता है अभी नहीं बनेगा। सरपंच लोग हम लोगो का ध्यान नहीं दे रहे है। हम लोगो के तरफ रोड नहीं बन रहा है। हम लोगो का जमीन नहीं जा रहा है तो हम विरोध क्यों करेंगे।

27. निराकार यादव, गारा – मैं भारत माला का विरोध कर रहा हूँ।

28. पंकज कुजुर – आज यहा गर्मी क्यों लग रही है क्योंकि यहा पेड़ नहीं है। इसलिये भारतमाला रोड नहीं बनना चाहिये क्योंकि पेड़ कटेंगे, और यहा के लोगो को सुचना भी नहीं मिली थी। एन.एच. 43 को ही और चौड़ा बना दिया जाये। जैव विविधता के लिये जशपुर भारत में 2 स्थान है। यहा पेड़ नहीं कटना चाहिये।

29. बर्खोलेस तिग्गा, मिनाबहार – एन.एच. रोड को ही बड़ा बनाया जाये। हम लोगो का जमीन चला जायेगा तो हम कहा के निवासी कहलायेंगे हमें भारतमाला नहीं चाहिये।

30. राजकुमार जांगड़े, कछार – हमारे कछार का 3 नंबर वार्ड का कुछ नहीं हो रहा है, पानी के लिये भी दिक्कत हो रहा है। उंपर पारा में और ज्यादा परेशानी हो रही है।
31. हिरालाल – हमारा घर जा रहा है और पेड़ भी जा रहा है ऐसी परियोजना हमें नहीं चाहिये।
32. दयामती कुजुंर, तिरसोड़ – हमारा जमीन जा रहा है कैसे जी पायेंगे। भारतमाला परियोजना नहीं चाहिये।
33. नंदलाल यादव, कछार – आज जो इसका जनसुनवाई हो रहा है मुआवजा राशि नहीं दिया जा रहा है।
34. मोहन लाल गुप्ता, – जितना हां बोल रहे है उसका जानकारी दें। मेरा जमीन जा रहा है इसलिये मैं विरोध में हूँ।
35. बलसाय लकड़ा, – यह परियोजना नहीं होना चाहिये।
36. मनिहर लकड़ा, तिरसोठ – बाहर में क्यों बड़े–बड़े हास्पिटल बनाया जाता है यहा क्यों नहीं बनाया जाता है। हम चाहते है कि भारतमाला रोड नहीं बनना चाहिये। यह पेशा कानुन के तहत गलत है इसलिये इसे रद्द किया जाये।
37. कृतसिंह राठिया – मैं इस परियोजना का विरोध करता हूँ हमारा 2 एकड़ जमीन जा रहा है तो हम कहा जायेंगे। मैं चाहता हूँ कि इसको रद्द किया जाये।
38. मनुराम, तिरसौठ – मेरा मकान और जमीन जा रहा है इसलिये रद्द किया जाये।
39. अशोक तिग्गा – यह जो रोड बनने जा रहा है यह लोगो के लिये हित मैं है लेकिन एन.एच. को ही पुर्ण बनाया जाये। 99 प्रतिशत लोग बोल रहे है कि यहा यह भारतमाला रोड नहीं बनना चाहिये।
40. जगत तिग्गा – यह जो रोड बन रहा है यहा आदिवासीयों के खिलाफ है 43 रोड जो बन रहा है इसमें उसको लाया जाये। ग्रामपंचायत के द्वारा निर्णय भी नहीं हुआ है। यहा संख्या भी बहुत कम है इसलिये इस रोड को निरस्त किया जाये।
41. तोताराम यादव, मुड़ापारा – मेरा जमीन गया है लेकिन पता नहीं कि कितना जा रहा है और आज की जनसुनवाई भी मुझे अभी पता चला, गर्वनमेंट की सुचना मुझे नहीं मिला। इस योजना का विस्तृत डिटेल जनता तक पहुंचना चाहिये। सुचना क्यों नहीं दिया जा रहा है।
42. रविशंकर गुप्ता, मुड़ापारा – मैं अभी तक सुन रहा हूँ लोग तरस रहे है, जब किसान का खेती जायेगा तो पब्लिक को नुकशान होगा, हमें पर्यावरण बचाना है, सभी लोग धुप में तड़प रहे है इसलिये बंद किया जाये।
43. ओमप्रकाश यादव, गाला – मेरा घर भारतमाला में जा रहा है इसलिये मैं इसका विरोध करता हूँ।
44. भुवनेश्वर टोप्पो – एन.एच. 43 में मेरा जमीन गया है दुसरा किस्त नहीं मिल पाया है।
45. तेज कुजुर – हमें सुचना अभी मिल रही है इसलिये मैं अभी आया हूँ।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने कहा कि यदि कोई ग्रामीणजन, आस–पास के प्रभावित लोग अपना पक्ष रखने में छूट गये हो तो मंच के पास आ जाये। जनसुनवाई की प्रक्रिया चल रही है। उन्होने पुनः कहा कि कोई गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधी छूट गये हो तो वो आ जाये। इस जन सुनवाई के दौरान परियोजना के संबंध में बहुत सारे सुझाव, विचार, आपत्ति लिखित एवं मौखिक में आये है जिसके अभिलेखन की कार्यवाही की गई है। इसके बाद 01:30 बजें कंपनी के प्रतिनिधि/पर्यावरण कंसलटेंट को जनता द्वारा उठाये गये ज्वलंत मुद्दो तथा अन्य तथ्यों पर कंडिकावार तथ्यात्मक जानकारी/स्पष्टीकरण देने के लिये कहा गया।

कंपनी कंसलटेंट इस परियोजना में वन क्षेत्र में मात्र 26 पेड़ जा रहे है, जमीन का मुआवजा एल.आर. 2013 के हिसाब से किया जा रहा है। जमीन संबंध मुआवजा के लिये सुचना के लिये पेपर में दिया जायेगा। 43 तो चौड़ीकरण होगा ही, जो भी कछार से आयेंगे उसमें कनेक्टिवीटी रहेगा एन.एच. से। ग्रीन बेल्ट में वन विभाग के अनुसार मात्र 26 पेड़ कट रहे है और सुचना का प्रकाशन 01 माह पूर्व किया गया था।

सुनवाई के दौरान 11 अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये तथा पूर्व में प्राप्त हुये अभ्यावेदन की संख्या निरंक है। संपूर्ण लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी की गई। लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा पढ़कर सुनाया गया। तत्पश्चात सायं 02:00 बजे धन्यवाद ज्ञापन के साथ लोकसुनवाई की समाप्ति की घोषणा की गई।

25/05/2022
(एस.के. वर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़

25/5/2022
(आई.एल. ठाकुर)
अपर कलेक्टर
जिला–जशपुर (छ.ग.)